Unit-1(d) course-2

शिक्षा का अधिकार अधिनियम - 2009
RIGHT TO EDUCATION - 2009

संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 में धारा 21 को जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। शिक्षा के अधिकार विधेयक को संसद ने 4 अगस्त 2009 को स्वीकृति प्रदान की। 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार कानून (RTE) लागू किया गया। इस कानून के द्वारा राज्य का यह उत्तरदायित्व है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इस कानून के अन्तर्गत बच्चों को अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनेक प्रावधान किया गया है जो कि निम्न लिखित हैं—

1 - निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार—

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अध्याय II के धारा 2 के अनुसार "विद्यार्थी की अनिवार्य शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क होगी तथा उस से किसी भी प्रकार के शुल्क नहीं लिए जाएंगे"।

2 - नामांकन हेतु आयु प्रमाण—

बच्चे के नामांकन के लिए अध्याय IV 14(1) के अनुसार योग्य अधिकारी द्वारा जारी जन्म तिथि का प्रमाण दिया जा सकता है। धारा 14 (2) के द्वारा यह व्यवस्था है कि जन्म तिथि सम्बन्धी प्रमाण पत्र नहीं होने पर बच्चे का विद्यालय में नामांकन से इंकार नहीं किया जा सकता है।

3 - नामांकन से इन्कार नहीं (No Denial of Admission)

अधिनियम के धारा 15 के द्वारा यह व्यवस्था है कि सत्र के आरंभ के समय ही नामांकन की व्यवस्था है। परन्तु सत्र के संचालन के बाद विलम्ब से आने पर भी नामांकन से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

4- पिछले वर्ग में रोकने तथा निष्कासित करने से मना-

धारा 16 के अधीन किसी भी बच्चे को पिछले वर्ग में नहीं रोका जाएगा। साथ ही शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा। यद्यपि वर्ग में रोकने अर्थात फेल करने के प्रावधान में संशोधन किया गया है।

5- शारीरिक तथा भावनात्मक प्रताड़ना पर रोक।

अध्याय IV की धारा 17(1) के अनुसार किसी भी बच्चे को शारीरिक तथा भावनात्मक दण्ड नहीं दी जा सकती। इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किए जाने की व्यवस्था है।

6- विद्यालय से बाहर के बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था

अध्याय II के धारा 4 के अनुसार यदि 6 वर्ष के आयु के बच्चे का नामांकन किसी भी विद्यालय में नहीं हुआ है तो उनके आयु के अनुसार नामांकन का उत्तरदायित्व उनके अभिभावक तथा व्यवस्था पर है।

7- विद्यालय स्थापना का उत्तरदायित्व-

जिन क्षेत्रों में विद्यालय की व्यवस्था नहीं है, अध्याय III के धारा 6 के अनुसार वहाँ नियम लागू होने के तीन वर्ष के अन्दर संबंधित स्थानीय अधिकारी विद्यालय की स्थापना के लिए उत्तरदायी होंगे।

8 वित्तीय उत्तरदायित्व-

RTE को लागू करने के लिए अध्याय III के धारा 7(1) के अनुसार केन्द्रीय तथा राज्य सरकार मिलकर फण्ड की व्यवस्था करेगी। धारा 6 (a)(b)(c) के अनुसार केन्द्र सरकार अकादमिक संस्थाओं के सहयोग से राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करवाएगी। साथ ही शिक्षक - प्रशिक्षण को प्रभावशाली रूप से लागू किया जाएगा

9- विद्यालयों के उत्तरदायित्व-
अध्याय IV के धारा 12 (a) के अनुसार जो विद्यार्थी विद्यालय में नामांकन लेता है उसे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। धारा 12 (c) के अनुसार, 25% आरक्षण कमजोर तथा पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए केन्द्रीय विद्यालयों तथा अन्य सहायता प्राप्त विद्यालयों में होगा।

10 - टैस्ट प्रक्रिया तथा कैपीटेशन शुल्क नहीं -
अध्याय III की धारा 13(1) के अनुसार कोई भी विद्यालय नामांकन के नाम पर कोई राशि नहीं लेगा। धारा 13(2) a के अनुसार वसूली की गए राशि का 10 गुणा जुर्माना किया जाएगा। टैस्ट प्रक्रिया के लिए 25,000 रुपए जुर्माना की व्यवस्था है।

11- विद्यालयों को मान्यता प्रमाणपत्र -
धारा 18 (1) के अनुसार RTE लागू होने के बाद सामर्थ्य अधिकारी से मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना कोई विद्यालय नहीं खोला जा सकता। 18(5) के अनुसार बिना अनुमति प्राप्ति के विद्यालय खोलने पर एक लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकता है।

12- वित्तीय उत्तरदायित्व :-
अध्याय III की धारा 7(1) के अनुसार केन्द्रीय तथा राज्य सरकार मिलकर FUND की व्यवस्था करेगी। धारा 7(2) के अनुसार RTE हेतु बजट निर्माण का कार्य केन्द्र सरकार करेगी। धारा 6(a)(5)(6) के अनुसार केन्द्र सरकार ही राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रुपरेखा तैयार करवाएगी तथा मानक स्तर के शिक्षक-प्रशिक्षण का कार्य करेगी।

13- सरकार का उत्तरदायित्व :- प्रत्येक बच्चे को जो कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु का है उसे निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो यह सरकार का उत्तरदायित्व है। देश के सभी विद्यालयों में प्राथमिक ढांचे का विकास, प्रभावी शिक्षक-प्रशिक्षण तथा उच्च स्तर के शिक्षण की व्यवस्था भी सरकार करेगी। बिना किसी भेद भाव के देश के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएगी।

Ajanta Officer

14- अभिभावकों का उत्तरदायित्व - अध्याय III के धारा 10 के अनुसार माता-पिता तथा अभिभावकों का यह उत्तरदायित्व बनता है कि वह अनिवार्य रूप से अपने बच्चों का प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन करवाए अन्यथा दण्ड के भागीदार होंगे।

15- पूर्व विद्यालय शिक्षा- विद्यालय में नामांकन से पूर्व अर्थात 6 वर्ष की आयु के पहले तक बच्चे ICDS द्वारा संचालित आँगनबाड़ी में जाते हैं जो कि RTE की धारा (III) 11 के अनुसार है। तीन वर्ष की आयु के बाद ही बच्चे आँगनबाड़ी केन्द्र में शिक्षा प्राप्त करते हैं जहाँ उन्हें भोजन भी मिलता है।

16- विद्यालय नियमावली- धारा 19(1) के अनुसार किसी भी शिक्षण संस्थान को मान्यता प्राप्ति के लिए RTE के नियमों का पालन करना होगा। धारा (19)2 के अनुसार 3 वर्ष के भीतर यदि अपने आमदनी तथा खर्च के स्रोत का हिसाब तथा अन्य नियमों का उलंघन करते है तो उनकी मान्यता रद्द हो जाएगी।

17- नियमों के संशोधन का अधिकार:- धारा 20 के अनुसार केन्द्र सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भी नियम को जोड़ सकती है या समाप्त कर सकती है। जैसे कि किसी भी वर्ग में किसी भी बच्चे को फेल नहीं करना था लेकिन पूरे देश ने ऐसा महसूस किया कि बिना योग्यता धारण के बच्चे को उच्च कक्षा में पढ़ने हेतु भेज देना किसी भी रूप से छात्र हित या देश हित में नहीं है। इस नियम में संशोधन कर बच्चों को योग्यतानुसार ही वर्ग में अध्ययन का अवसर दिया जाएगा।

18- शिक्षकों की नियुक्ति- धारा 23(1) के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो निर्धारित योग्यता रखता है, नियुक्ति तथा सेवाशर्तें नियमावली के अनुसार नियुक्त होकर अपनी सेवा दे सकता है।

19- विद्यालय प्रबन्ध समिति- धारा 21(1) के अनुसार, प्रत्येक विद्यालय में प्रबन्ध समिति का गठन होगा जिसमे अभिभावक, शिक्षक तथा चयनित प्रतिनिधि होगें। 3/4 सदस्य अभिभावक तथा 50% महिलाएँ सदस्य होगी। यह समिति विद्यालय के क्रिया कलापों का निरीक्षण करेगी तथा विद्यालय के विकास योजनाओं को तैयार करेगी। सरकार से या अन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदान का उचित खर्च करेगी।

20- शिक्षकों का कर्तव्य- धारा 24(1) के अनुसार शिक्षकों का यह दायित्व होगा की वह विद्यालय में ससमय तथा नियमित रुप से उपस्थित रहेगा। निर्धारित पाठ्यक्रम ससमय पूरा करेगा। विद्यार्थियों के अधिगम स्तर से अवगत रहेगा। अभिभावक से सम्बंध बनाते हुए बच्चो तथा विद्यालयो की समस्याओं के समाधान हेतु सहयोग प्राप्त करेगा। धारा 24(2) के अनुसार यदि शिक्षक अपने कर्तव्यो का पालन नहीं करते हैं तो अनुशासनिक कार्यवाई की जा सकती है।

21- विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात:- धारा 25(1) के अनुसार एक शिक्षक तथा 30 छात्रों का अनुपात रखा गया है। धारा 25 (2) के अनुसार शिक्षकों का किसी भी गैर शैक्षिक कार्य हेतु प्रतिनियोजन पर रोक लगा दी गई है।

इस प्रकार अन्य बहुत से प्रावधान है जैसे - निजी ट्यूशन पर रोक, मूल्यांकन प्रक्रिया, बच्चो के अधिकार, राष्ट्रीय परामर्श परिषद तथा राज्य परामर्श परिषद के गठन की नियमावली। आवश्यकता है कि इन नियमों को लागू करने तथा इस पर सच्चे मन से काम करने का जज़्बा तथा संकल्प शिक्षकों में तथा अभिभावकों में होना चाहिए। साथ साथ प्रशासन के सहयोग से ही शिक्षा की दशा को एक नई दिशा दी जा सकती है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की समीक्षा –

1 अप्रैल 2010 से देश में शिक्षा का अधिकार लागू हुआ। इस पूर्व 2002 से देश में सर्व शिक्षा अभियान" चल रहा था। सर्व शिक्षा अभियान द्वार शिक्षण व्यवस्था हेतु जो एक ढाँचा तैयार किया गया उसमें प्राण प्रतिष्ठा देने का कार्य RTE-2009 ने किया। सर्वशिक्षा अभियान द्वारा भवन निर्माण का कार्य हुआ, शिक्षकों का नियोजन हुआ, अब RTE-2009 ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का आरम्भ करने का संकल्प दुहराया तथा यथा-संभव पूरा भी किया।

Awanis